समाजसेवा आराम की उम्र में सेवा करने की जिद, मुफ्त में प्रैक्टिस कर सकेंगे खिलाड़ी, पूर्व नेशनल प्लेयर रहे पाल सर ने राज्य-राष्ट्रीय स्तर पर दिलाई पहचान

रिटायर शिक्षक दंपती ने पेंशन के रुपए से बनवा दी पक्की जिम और टेबल टेनिस हॉल

मोहित व्यास ● शाजापुर (नईदुनिया)

आराम करने की उम्र में रिटायर शिक्षक दंपती ने समाजसेवा की अनोखी अलख जगा रखी है। वेट लिफ्टिंग, शतरंज, टेटे आदि में नेशनल प्लेयर रहे लीलाधर पाल ने बच्चों को खेल के गुर सिखाने के लिए जीवनभर की पूंजी के रूप में सेवानिवृत्ति पर मिले लाखों रुपए खर्च कर दिए। इसके बाद भी बच्चों को खेल सुविधा उपलब्ध कराने की जिद पूरी नहीं हुई। पति का यह जज्बा देखकर सेवानिवृत्त शिक्षिका पत्नी कलावती पाल भी आगे आईं और अपने कोच पति के खिलाड़ियों की सुविधा बढ़ाने के लिए लाखों रुपए पेंशन की राशि से दिए। दोनों अब हर माह आने वाली पेंशन की राशि से पक्की जिम व टेटे हॉल का निर्माण करवा रहे हैं। काम अंतिम दौर में है, अगले माह से हॉल खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

उत्कृष्ट स्कूल शाजापुर के एक हॉल में सेवानिवृत्त शिक्षक पाल बच्चों को वेट लिफ्टिंग के गुर सिखाते हैं। जर्जर

उत्कृष्ट स्कूल में प्रथम तल पर निर्माणाधीन टेटे हॉल, रंगाई-पुताई के बाद फरवरी में होगी शुरुआत। ● नईदुनिया

कक्ष में बारिश के दिनों में पानी टपकने से खिलाड़ी परेशान होते थे। इसके लिए पाल दंपती ने कक्ष की नई छत बनवाने का निर्णय लिया। छत डलने के बाद मन में आया कि बच्चों को टेबल टेनिस के लिए इसके ऊपर एक हॉल और बनाया जाए। इस पर दोनों ने डेढ़-डेढ़ लाख रुपए मिलाकर 600 स्क्वायर फीट का एक हॉल बनवाना शुरू करा दिया। फिलहाल निर्माण अंतिम दौर में है। फरवरी के दूसरे

सेवानिवृत्त शिक्षक दंपती लीलाधर पाल एवं कलावती पाल। ● नईदुनिया

सप्ताह में यह बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वेट लिफ्टिंग में नेशनल प्लेयर रहे सेवानिवृत्त शिक्षक लीलाधर पाल की उम्र करीब 70 साल है। वे खुद तो अब मैदान में खेल के कमाल नहीं दिखा पाते, किंतु उनके सिखाए बच्चे देशभर में नेशनल स्तर पर उनका नाम चमका रहे हैं। पाल द्वारा प्रशिक्षित कई खिलाड़ी वेट लिफ्टिंग और शतरंज में नेशनल स्तर पर मेडल जीत चुके हैं। राज्य स्तर पर तो कई खिलाड़ी प्रदर्शन कर चुके हैं।

मौत के मुंह से वापस आए

पड़ोसी जिला आगर (उस समय शाजापुर जिले में ही) में वर्ष 2007 में दो खिलाड़ियों को शतरंज खिलाने ले गए पाल हादसे का शिकार हो गए थे। उनके साथ एक खिलाड़ी भी गंभीर घायल हुआ। लंबे उपचार के बाद दोनों स्वस्थ हुए। हादसे के बाद पाल काफी कमजोर हो गए और एक तरह से पलंग पकड़ लिया। इस पर उनके द्वारा तैयार खिलाड़ियों ने उनका हौसला बढ़ाया और वापस फील्ड में ले आए। इससे पाल की हालत में तेजी से सुधार आया। वे एक बार फिर खिलाड़ी तैयार करने में लग गए। पाल बताते हैं कि बच्चे जब मेडल लेकर आते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके द्वारा तैयार खुशी यादव नेशनल प्रतियोगिता में तीन और विजय प्रजापत एक मेडल जीत चुका है। उनके खिलाड़ी अब तक 21 बार नेशनल स्तर पर प्रदर्शन कर चुके हैं।

परेशानियों का सामना, पर जिद नहीं छोड़ी : 18 वर्ष पहले वर्ष 2002 शास. उमावि-2 में कार्यरत शिक्षक पाल ने स्कूल के एक कक्ष में विद्यार्थियों के लिए वेट लिफ्टिंग की कोचिंग शुरू की। किन्हीं कारणों से चार साल बाद स्कूल ने उनसे कक्ष खाली करा लिया और उत्कृष्ट स्कूल प्रबंधन ने उन्हें एक कक्ष दिया। वहां 2007 से अभ्यास शुरू कराया। 2012 में सेवानिवृत्ति के बाद एक निजी स्कूल में निशुल्क सेवा शुरू की। वहां करीब 6 लाख रुपए खर्च कर 800 स्क्वायर फीट का हॉल बनाया। मृत पड़े कुएं में मोटर आदि डालकर उसे जीवित कराया। इसके बाद फिर उत्कृष्ट स्कूल के एक कक्ष में वेट लिफ्टिंग का अभ्यास शुरू कराया। इसी कक्ष के ऊपर छत डालकर एक हॉल और बनाया गया है, जहां टेबल टेनिस, शतरंज और कैरम आदि खेल के गुर बच्चों को सिखाए जाएंगे। पाल बताते हैं कि खिलाड़ियों को तैयार करने की इस यात्रा में कई जगह निराशा और असहयोग की स्थिति बनी किंतु उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। उनका एक ही सपना है कि बच्चे खेल में नाम कमाएं और खेल कोटे से सरकारी सेवा में जाएं।

> सेवानिवृत्त शिक्षक लीलाधर पाल द्वारा बच्चों के लिए हॉल निर्माण की इच्छा जाहिर की थी। इस पर विद्यालय उपहार योजना के तहत हमने उपहार स्वरूप उनके कार्य को स्वीकार कर निर्माण की अनुमति दी। हॉल के माध्यम से खेल सुविधाओं में वृद्धि होगी। - **केके अवस्थी, प्राचार्य उत्कृष्ट स्कूल**

वसीयत की वीडियोग्राफी परेशानियों से बचाएगी

वसीयत में संशोधन करते समय दोनों गवाहों को भी उपस्थित रखना चाहिए। इससे उन्हें भी पता रहता है कि वसीयत में क्या फेरबदल किया है। व्यक्ति के न रहने पर ये गवाह वसीयतकर्ता का पक्ष रख सकेंगे।

वसीयत को किसी व्यक्ति द्वारा चुनौती देने की संभावना को ध्यान में रखकर वसीयतकर्ता को अतिरिक्त सावधानी बरतना होगी। उसे विश्वसनीय सलाहकार के माध्यम से तैयार करवाएं। उच्च पद पर काम करने वाले दो गवाह रखें। लिखते समय वीडियोग्राफी करें। इसके बाद कानूनी रूप से वसीयत का पंजीयन करवाएं। अपने बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर, डीमैट अकाउंट, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, अचल संपत्ति-जमीन-जायदाद आदि के संबंध में बनाए जाने वाले नॉमिनी सुनिश्चित करें। साफ-साफ लिखें कि किसे क्या दिया जाए। संपत्ति संबंधी अधूरी जानकारी दर्ज करने से अक्सर कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर लाभार्थियों को न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

Q. वसीयत से तत्काल बेदखल किया जा सकता है?

-स्व-अर्जित संपत्ति से कोई व्यक्ति परिवार के सदस्यों को बेदखल कर सकता है। हालांकि, विरासत में मिली संपत्ति के मामले में कानूनी वारिस होने का फायदा सदस्यों को मिलता है।

Q. पंजीकृत विल को कोर्ट में चुनौती दे सकते है?

-हां। पंजीकृत वसीयत व मृतक की अपंजीकृत वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। बताना होगा कि वसीयतकर्ता की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वसीयतकर्ता को जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव डालकर, धोखाधड़ी, गलती, रिश्तों की दुर्भावना से अनदेखी कर या गलत बयानी कर वसीयत बनवाई गई हो। लेकिन इन सबके सबूत दिखाने होंगे।

Q. आकस्मिक लाभार्थी कौन हो सकते हैं?

-कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार हो सकते हैं। यदि संपत्ति किसी के नाम नहीं की हो और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कोई वारिस न हो, ऐसी स्थिति में पूरी संपत्ति सरकार के अधीन हो सकती है।

Q. गैर-लाभार्थी कौन हो सकते हैं?

-वे लोग जिन्हें आप वसीयत में लाभ देने की इच्छा नहीं रखते हैं। गैर-लाभार्थी आपके माता-पिता, पति-पत्नी, बच्चे और पोते, अन्य रिश्तेदार, मित्र, संगठन, ट्रस्ट आदि कोई भी हो सकते हैं।

Q. ट्रस्ट विल क्या है?

-किसी नाम से एक ट्रस्ट बनाकर पूरी संपत्ति उसके अधीन कर दी जाती है। फिर हर महीने ट्रस्ट के माध्यम से नामित व्यक्ति को वसीयत के आधार पर राशि दी जाती है। इसे ट्रस्ट विल कहा जाता है। किसी नाबालिग के बालिग होने तक व्यक्ति ट्रस्ट संपत्ति की देखभाल करता है। धर्मार्थ-परमार्थ ट्रस्ट बनाकर भी वसीयत बनाई जा सकती है।

Q. वसीयत में पैतृक संपत्ति का उल्लेख जरूरी है?

-वसीयतकर्ता को किसी भी पैतृक संपत्ति का उल्लेख नहीं करना चाहिए, जब तक कि उसके पास ऐसी कोई संपत्ति या हिस्सा न हो, जो कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके कानूनी रूप से उसके कब्जे में आ गई हो। *(अन्य जानकारी के लिए विजिट करें- info.mysabkuch.com)*